



सत्यमेव जयते

राजस्थान सिविल
सेवा अपील
अधिकरण

वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष - 2022

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष—2022
(दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक)

1. अधिकरण का क्षेत्राधिकार

- 1.1. राज्य कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों तथा आनुषंगिक विवादों के निपटारे के लिए राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की अनुपालना में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण का गठन 1 जुलाई, 1976 को किया गया था। उक्त अधिनियम माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमोदन के पश्चात् ही लागू किया गया है। इसका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण राजस्थान है तथा सिविल सेवाएं जो राजपत्र में अधिसूचित हों (राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा तथा राज. न्यायिक सेवा के सदस्य, राजस्थान उच्च न्यायालय के कर्मचारी, राजस्थान विधान सभा सचिवालय स्टाफ के कर्मचारी तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग व लोकायुक्त कार्यालय, उपलोकायुक्त के कर्मचारियों के अलावा)। माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के एस.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 10061/2020 सुनील व्यास बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 02.12.2020 को पारित आदेश के अनुसरण में सार्वजनिक उपक्रम मय जे.डी. ए. एवं नगर निगम के कर्मचारियों को, राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम 1976 के नियम 2(एफ) में परिभाषित सेवा मामलों हेतु अधिकरण में प्रथम सुनवाई का हक प्रदान करने के कारण वर्तमान में उक्त विभागों के कर्मचारियों के सेवा मामलों की सुनवाई भी अधिकरण में की जा रही है।
- 1.2. जोधपुर में अधिकरण की चलपीठ का गठन 1.11.1997 से किया गया है। चलपीठ जोधपुर की प्रतिमाह बैठक हो रही है।
- 1.3. कार्मिक (क-2) विभाग के पत्र क्रमांक प0 9(4)कार्मिक/क-2/22 जयपुर, दिनांक 06.09.2022 के अनुसरण में चलपीठ जोधपुर के लिए सुनवाई हेतु प्रत्येक माह 8 (आठ) प्रभावी दिवस के लिए माह सितम्बर, 2022 से बैठक आयोजित की जा रही है।
- 1.4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 13855/2021 में माननीय न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 19.07.2022 की अनुपालना के क्रम में जोधपुर में अधिकरण की स्थाई पीठ की स्थापना की प्रक्रिया राज्य सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

2. न्याय पीठ का गठन


- 2.1 राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 3(2) के प्रावधानों के अनुसार अधिकरण में भारतीय प्रशासनिक सेवा के

अधि-वेतनमान स्तर का अधिकारी तथा कम से कम दो अन्य सदस्य होंगे जिनमें एक राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य होगा।

वर्तमान में निम्नानुसार न्यायिक व्यवस्था कार्यरत है।

अध्यक्ष तथा राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य के अतिरिक्त 02 भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी एवं 01 राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी सदस्यों के रूप में नियुक्त हैं। माननीय सदस्यों की सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

2.2 अधिकरण का संगठनात्मक विवरण



2.3 समीक्षाधीन अवधि 2022 में निम्नलिखित पदाधिकारी पदस्थापित रहे हैं :-

1. श्री शिखर अग्रवाल, (IAS), अध्यक्ष	दिनांक 15.11.2021 से दिनांक 16.04.2022 तक
2. श्री अश्विनी भगत, (IAS), अध्यक्ष	दिनांक 16.04.2022 से निरन्तर
3. श्रीमती शुभा मेहता, सदस्य (न्यायिक)	दिनांक 22.07.2020 से दिनांक 05.06.2022 तक
4. श्री अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)	दिनांक 19.07.2022 से निरन्तर
5. श्री मातादीन शर्मा, (Rtd. IAS), सदस्य	दिनांक 01.01.2021 से दिनांक 31.12.2022 तक
6. श्री एम. एस. काला, (Rtd. IAS), सदस्य	दिनांक 03.01.2022 से दिनांक 02.01.2023 तक
7. श्रीमती शुचि शर्मा, (Rtd. IAS), सदस्य	दिनांक 03.01.2022 से निरन्तर
8. श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, (RAS), रजिस्ट्रार	दिनांक 28.07.2021 से दिनांक 17.10.2022 तक
9. श्री पंकज कुमार ओझा, (RAS), रजिस्ट्रार	दिनांक 17.10.2022 से निरन्तर

2.4 अधिकरण में स्वीकृत/रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है:-

पद नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1 निजी सचिव	02	01
2 सहायक रजिस्ट्रार	01	—
3 अतिरिक्त निजी सचिव	03	03
4 प्रोग्रामर	01	—
5 निजी सहायक ग्रेड-I	02	01
6 अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	01	01
7 सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II	01	—
8 निजी सहायक ग्रेड-II	06	—
9 सहायक प्रशासनिक अधिकारी	03	01

10	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	—
11	वरिष्ठ सहायक	05	01
12	सूचना सहायक	03	02
13	कनिष्ठ सहायक	10	—
14	वाहन चालक	03	—
15	जमादार	01	01
16	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	17	07

वर्तमान में 01 सूचना सहायक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग से कार्यव्यवस्थार्थ एवं 01 सलाहकार अधिकरण में कार्यरत है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों के विरुद्ध 10 होमगार्ड/नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक अधिकरण में कार्यरत हैं।

3. अधिकरण की अधिकारिता :-

3.1 राजस्थान सिविल सेवा अधिनियम, 1976 की धारा 2(एफ) के प्रावधानों के तहत राज्य कर्मचारियों के निम्न सेवा मामलों में सुनवाई का अधिकार है :-

1. वरिष्ठता
2. पदोन्नति
3. पुष्टीकरण (स्थायीकरण)
4. वेतन स्थिरीकरण
5. किसी सरकारी कर्मचारी के वेतन भत्ते, पेन्शन तथा अन्य सेवा शर्तों का उसके हित में अस्वीकार अथवा परिवर्तन करने वाला कोई आदेश।
6. उच्च सेवा श्रेणी अथवा पद पर स्थापन होते हुए निम्न सेवा श्रेणी अथवा पद पर पदावनति वाले मामले।
7. पेन्शन रोकना अथवा अधिकतम पेन्शन अस्वीकार करना।
8. राजस्थान सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.17(7) कार्मिक क-2/77 दिनांक 25.02.1995 के अनुसार स्थानान्तरण संबंधी मामलों में भी पूर्ण पीठ द्वारा अपीलें सुने जाने का प्रावधान था, अब राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 05.01.2016 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम 1976 के नियम 4 में संशोधन कर स्थानान्तरण से सम्बन्धित प्रकरण भी दो सदस्यीय पीठ द्वारा सुनने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार स्थानान्तरण सहित सभी सेवा प्रकरणों का निस्तारण दो सदस्यीय पीठ द्वारा किया जाता है।

अधिकरण द्वारा पारित आदेश अन्तिम होता है। निर्णय से असंतुष्ट कार्मिकों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर की जा सकती है।

3.2 अधिकरण की शक्तियाँ :-

अधिकरण के समक्ष प्रक्रियाएँ भारतीय दण्ड संहिता 1860 (केन्द्रीय अधिनियम सं 45 सन् 1860) की धारा 193 के अर्थों में न्यायिक प्रक्रियाएँ समझी जाती हैं।

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (केन्द्रीय अधिनियम 2, सन् 1974) की धारा 345 तथा 346 और न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 (केन्द्रीय अधिनियम 70 सन् 1971) के प्रयोजनार्थ अधिकरण को एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा।
2. अधिकरण के अधिनियम के अधीन अपील निपटाने के प्रयोजन के लिए मामलों में सिविल न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता 1903 (केन्द्रीय अधिनियम 5 सन् 1908) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियाँ भी अधिकृत हैं।

3.3 पुस्तकालय:- अधिकरण के पुस्तकालय में वर्ष 2022 के दौरान 11904 पुस्तकों से बढ़कर 11925 पुस्तकें हो गई हैं। अतः 21 नई पुस्तकों एवं विधि संबंधी पीरियोडिकल जर्नल्स (Journals) का और समावेश हुआ है।

3.4 प्रतिलिपियाँ:- अधिकरण की प्रतिलिपि शाखा द्वारा वर्ष 2022 में कुल 9219 प्रतियाँ सशुल्क एवं 2523 प्रतियाँ निःशुल्क जारी की गई हैं। जिससे 59131/- रुपये की आय प्राप्त हुई।

4.1 2022 में प्राप्त अपीलों का विवरण निम्नानुसार उल्लेखित है :-

(1) माहवार अपीलों का विवरण	—	सारणी 1
(2) जिलेवार अपीलों का विवरण	—	सारणी 2
(3) विभागवार अपीलों का विवरण	—	सारणी 3
(4) विषयवार अपीलों का विवरण	—	सारणी 4
(5) अन्य प्रार्थना पत्रों का विवरण	—	सारणी 5
(6) निर्णित अपीलों का विवरण	—	सारणी 6
(7) निर्णयों की प्रतियों का विवरण	—	सारणी 7
(8) अधिकरण को वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटित बजट एवं दिसम्बर 2022 तक खर्च की स्थिति	—	सारणी 8

4.2 वर्ष 2022 के अंतर्गत नई दर्ज की गई अपीलों की (सारणी-3) के अनुसार निम्न स्थिति उभरकर आती है :-

क्र. सं.	विभाग	अपीलों की संख्या	प्रतिशत
1.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	2614	34.05%
2.	माध्यमिक शिक्षा विभाग	2409	31.38%
3.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	406	5.29%
4.	राजस्व विभाग	301	3.93%
5.	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	286	3.73%
6.	महिला एवं बाल विकास विभाग	234	3.05%
7.	आयुर्वेद विभाग	224	2.92%
8.	गृह/पुलिस विभाग	178	2.32%
9.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	120	1.57%

शेष सभी विभागों के मिलाकर लगभग 11.79% मामले दर्ज हुए हैं।

4.3 वर्ष 2020 से अधिकरण की निर्णित पत्रावलियों के निर्णय अधिकरण की वेबसाईट पर भी अपलोड किये जा रहे हैं।

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण,
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी 1: माहवार दर्ज अपीलों का विवरण वर्ष 2022

(दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक)

माह	जयपुर	जोधपुर
जनवरी-2022	280	13
फरवरी-2022	307	32
मार्च-2022	582	17
अप्रैल-2022	283	27
मई-2022	378	21
जून-2022	286	—
जुलाई-2022	632	09
अगस्त-2022	1133	118
सितम्बर-2022	1224	330
अक्टूबर-2022	574	278
नवम्बर-2022	483	272
दिसम्बर-2022	345	53
योग	6507	1170
महायोग	7677	

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी 2 : जिलेवार दर्ज अपीलों का विवरण वर्ष 2022
(दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक)

क्रं. सं.	जिला	जयपुर	जोधपुर
1.	अजमेर	186	32
2.	अलवर	415	35
3.	जयपुर	1488	234
4.	जोधपुर	43	120
5.	जालौर	23	25
6.	जैसलमेर	21	10
7.	बाड़मेर	23	34
8.	बांसवाड़ा	197	41
9.	बीकानेर	48	37
10.	बारां	68	09
11.	बून्दी	110	06
12.	भरतपुर	346	14
13.	भीलवाड़ा	117	33
14.	चित्तौड़गढ़	71	13
15.	चूरु	108	26
16.	झालावाड़	150	20
17.	झुन्झुनू	1054	101
18.	कोटा	293	28
19.	करौली	185	08
20.	डूंगरपुर	28	30
21.	श्रीगंगानगर	39	14
22.	नागौर	126	37
23.	दौसा	180	11
24.	पाली	29	27
25.	सवाई माधोपुर	200	08
26.	उदयपुर	96	30
27.	राजसमन्द	15	07
28.	सीकर	448	79
29.	सिरोही	20	10
30.	प्रतापगढ़	65	28
31.	टोंक	157	11
32.	धौलपुर	92	05
33.	हनुमानगढ़	66	47
	योग	6507	1170
	महायोग	7677	

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी 3 : विभागवार दर्ज अपीलों का विवरण वर्ष 2022
(दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक)

क्रं. सं.	विभाग	जयपुर	जोधपुर
1	आबकारी विभाग	09	02
2	आयुर्वेद विभाग	212	12
3	उद्योग विभाग	04	—
4	तकनीकी शिक्षा विभाग	08	02
5	कॉलेज शिक्षा (उच्च शिक्षा)	40	06
6	कृषि विभाग	77	08
7	कार्मिक विभाग	13	02
8	कोष एवं लेखा विभाग	37	10
9	खान एवं भू विज्ञान विभाग	06	03
10	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग	330	76
11	गृह विभाग	64	20
12	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	2351	263
13	जल संसाधन विभाग	53	07
14	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	97	23
15	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	249	37
16	परिवहन विभाग	22	—
17	पशुपालन विभाग	30	06
18	महिला एवं बाल विकास विभाग	219	15
19	माध्यमिक शिक्षा विभाग	1918	491
20	राज्य बीमा विभाग	03	01
21	राजस्व विभाग	212	89
22	देवस्थान विभाग	07	—
23	नियोजन एवं श्रम विभाग	03	—
24	वन विभाग	74	23
25	वित्त विभाग	08	02
26	सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	10	04
27	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	07	04
28	आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	20	03
29	स्वायत्त शासन विभाग	77	06
30	संस्कृत शिक्षा विभाग	79	14
31	सहकारिता विभाग	11	01
32	सार्वजनिक निर्माण विभाग	20	02
33	मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग	07	—
34	स्थानीय निकाय विभाग	06	—
35	भू-जल विभाग	02	—
36	खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग	07	—
37	नगरीय विकास विभाग	06	01
38	पुलिस विभाग	94	—
39	पेंशन विभाग	—	01

40	मोटर गैराज विभाग	01	—
41	विद्युत विभाग	45	—
42	शिक्षा विभाग	22	—
43	अल्पसंख्यक विभाग	03	—
44	अभियोजन विभाग	06	02
45	कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग	04	01
46	जनसंपर्क विभाग	03	—
47	नगर नियोजन विभाग	09	—
48	पर्यटन विभाग	01	—
49	भू-प्रबंधन विभाग	02	11
50	वाणिज्य कर विभाग	03	01
51	विधि विभाग	03	—
52	सिंचाई विभाग	06	—
53	स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग	01	—
54	आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग	—	02
55	ऊर्जा विभाग	—	05
56	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	—	02
57	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	—	11
58	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	—	01
59	राज्य सरकार	06	—
	योग	6507	1170
	महायोग	7677	

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी 4 : विषयवार दर्ज अपीलों का विवरण वर्ष 2022

(दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक)

क्रं. सं.	विषय	जयपुर	जोधपुर
1.	पेंशन	21	03
2.	वरिष्ठता एवं पदोन्नति	413	24
3.	वसूली	138	08
4.	चयनित वेतनमान	274	71
5.	स्थानान्तरण	5104	1017
6.	पदावनति	08	—
7.	वेतन निर्धारण	15	06
8.	वेतन स्थिरीकरण	06	—
9.	वेतन वृद्धि	—	02
10.	वेतन भुगतान	—	01
11.	वेतन एवं भत्ते	266	01
12.	यात्रा-भत्ता	—	11
13.	चिकित्सा पुनर्भरण	—	01
14.	एरियर भुगतान	—	01
15.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	03	01
16.	अधिशेष	17	—
17.	अनिवार्य सेवानिवृत्ति	07	—
18.	पदस्थापन	38	—
19.	स्थायीकरण / नियमितिकरण	02	01
20.	ए.सी.आर.	—	01
21.	सेवा परिलाभ	01	03
22.	निलम्बन	—	01
23.	सेवा समाप्ति	—	16
24.	कार्यग्रहण	—	01
25.	अन्य	194	—
	योग	6507	1170
	महायोग	7677	

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी 5 : विभिन्न दर्ज प्रार्थना-पत्रों का विवरण वर्ष 2022

(दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक)

विषय	जयपुर	जोधपुर
अवमानना	350	27
पुनर्स्थापना	64	06
पुनर्विलोकन	42	08
रिमाण्ड	04	—
विविध एवं त्रुटि सुधार	10	02
कुल योग	470	43

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी-6 दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक जयपुर एवं जोधपुर पीठ में प्राप्त एवं निर्णित अपीलों का विवरण :-

प्रकरण दर्ज होने का वर्ष से 2010	2000	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	योग	जोधपुर	कुल योग
1.1.22 को शेष अपील	470	144	122	210	283	390	359	242	332	568	486	2822	—	6428	869	7297
1.1.22 से 31.12.22 तक प्राप्त अपीलें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6507	6507	1170	7677
पुनर्स्थापना / रिमाण्ड	16	01	—	—	03	02	02	01	04	06	14	17	02	68	06	74
योग	486	145	122	210	286	392	361	243	336	574	500	2839	6509	13003	2045	15048
1.1.22 से 31.12.22 तक निर्णित अपीलें	200	50	26	58	149	55	78	44	84	104	107	2234	2985	6174	1017	7191
31.12.22 को शेष	286	95	96	152	137	337	283	199	252	470	393	605	3524	6829	1028	7857

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण,
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी : 7 निर्णय की प्रतियां जारी किए जाने व उनसे प्राप्त राशि का मासिक विवरण वर्ष 2022 (दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक)

माह / वर्ष	प्राप्त आवेदन-पत्र	प्रतिलिपियां दी गईं	आवेदन-पत्र निरस्त	राशि प्राप्त
जनवरी 2022	645	645	0	4142 / -
फरवरी 2022	559	559	0	4711 / -
मार्च 2022	1094	1094	0	13871 / -
अप्रैल 2022	636	636	0	4320 / -
मई 2022	572	572	0	4685 / -
जून 2022	226	226	0	2034 / -
जुलाई 2022	263	263	0	2582 / -
अगस्त 2022	933	933	0	5804 / -
सितम्बर 2022	2014	2014	0	4048 / -
अक्टूबर 2022	677	677	0	3727 / -
नवम्बर 2022	905	905	0	6069 / -
दिसम्बर 2022	695	695	0	3138 / -
योग	9219	9219	0	59131 / -

जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 तक निःशुल्क राजकीय प्रयोजनार्थ 2523 प्रतियां जारी की गईं।

वर्ष 2022 में माननीय उच्च न्यायालय में 63 मामले रैफर किए गए।

वर्ष 2022 में अधिकरण के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं की संख्या अधिकरण के अभिलेखानुसार 05 है।

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

सारणी 8 :- अधिकरण को आवंटित बजट (वित्तीय वर्ष 2022-23) व
दिनांक 31.12.2022 तक व्यय की स्थिति निम्नानुसार है :-

(राशि लाखों में)

क्रं. सं.	मद	आवंटित	व्यय
1.	संवेतन	380.00	315.88
2.	यात्रा भत्ता व्यय	2.50	2.47
3.	चिकित्सा व्यय	0.01	00
4.	कार्यालय व्यय	30.00	11.70
5.	वाहनों का क्रय	18.00	00
6.	कार्यालय वाहनों का संचालन एवं संधारण	1.80	1.56
7.	पुस्तकालय	2.00	0.52
8.	वाहन किराया	9.50	8.53
9.	संविदा सेवाएं	21.00	20.63
10.	वर्दी	0.25	0.25
11.	कम्प्यूटराइजेशन एवं तत् संबंधी संचार व्यय	35.00	9.72
	योग	500.06	371.26

नोट :-

1. वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व मद 0070 में जमा राशि दिनांक 31.12.2022 तक रूपये 86,356/- (अक्षरे छियासी हजार तीन सौ छप्पन मात्र) हैं।
2. अंकेक्षण जाँच पैराओं की स्थिति :- बकाया आक्षेप- 38

रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर